समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला विकास शाखा)
आदेश

मानननीय पूर्व विधायक श्री शकुनी चौधरी, के विधायक मद की राशि अनुशंसित एवं इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 57 दिनांक 23.03.2010 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 50% राशि कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराई गयी थी। शेष निम्न तालिका में उल्लिखित योजनाओं के अवशेष 40% (चालीस प्रतिशत) राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि योजना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजना सुनिश्चित करें । उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के पश्चात् जिला स्तर से नामित पदाधिकारी के द्वारा योजना का स्थल निरीक्षण के बाद शेष 10% राशि विमुक्त की जायेगी। साथ ही अन्तिम भुगतान के पूर्व कार्यान्वयन एजेंसी निश्चित रूप से योजना का निरीक्षण करेंगे और संतुष्ट होने के पश्चात ही राशि का भुगतान करेंगें ।

नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि निम्नतालिका के स्तम्भ 6(छः) में उल्लेखित राशि का चेक स्तम्भ–3 (तीन) में अंकित पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ।

क्र0	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्ति की राशि (50%)	विमुक्ति की राशि। (40%)
1	2	3	4	5	6
01	प्राथमिक विद्यालय खपड़ा से हिरजन टोला की ओर पी0सी0सी0 सड़क निर्माण।	प्र0 वि0 पदा0, संग्रामपुर	74000	37000	29600
02	पी0 डब्लू0 डी0 पथ से पतधाधर मकतवा तक पी0सी0सी0 कार्य	तथैव	74000	37000	29600
03	खपड़ा मुख्य पथ से चन्द्रशेखर सिंह घर से मंदिर की ओर पी0सी0सी0 कार्य।	तथैव	56000	28000	22400
		कुल	**204000**	**102000**	**81600**

द्रष्टव्य :–

1. कुल प्रशासनिक स्वीकृत की राशि :– 204000. (दो लाख चार हजार रू0)
2. पूर्व में विमुक्त राशि :– 102000 (एक लाख दो हजार रू0)
3. विमुक्ति की राशि :– 81600 (एकासी हजार छ सौ रू0)

ह0/–
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापांकः– 390 जि0वि0, मुंगेर / दिनांक :– 15-10-2013

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर एवं नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/13

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।